

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] No. 385] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 542(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सारणी

(1)	(2)	(3)
"1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, (नया रारा सं. 69 चित्तूर से कर्नाटक सीमा और रारा सं. 40 चित्तूर से तमिलनाडु सीमा), सं. 9 [(नई	आंध्र प्रदेश
	रारा सं. 65) किमी 266.400 से किमी 270.340 (हैदराबाद से विजयवाड़ा खंड) तक को छोड़कर] , सं. 18 (नया रारा सं. 40	की राज्य
	कडप्पा से चित्तूर), सं. 18ए, (नया रारा सं. 140 पुथलापट्टू से तिरूपति किमी 41.70 से किमी 58.85 तक खंड को छोड़कर),	सरकार" ।
	सं. 43, (नया रारा सं. 26 ओडिशा सीमा से नटवालसा), सं. 63 (नया रारा सं. 67 कर्नाटक सीमा से गूटी), नया रारा सं. 67	
	(गूटी- नेल्लोर – कृष्णापटनम पत्तन), सं. 205 (नया रारा सं. 42 अनंतपुर – मदनापल्ली और नया रारा सं. 71 मदनापल्ली से	
	रेनूगुंटा), सं. 214 (नया रारा सं. 165 पमारू से दिगामारू और नया रारा सं. 216 दिगामारू से काथीपुडी), सं. 214ए (नया	
	रारा सं. 216 दिगामारू से ओंगोल), सं. 219 (नया रारा सं. 42 मदनापल्ली से तमिलनाडु सीमा), सं. 221 (नया रारा सं. 30	

835 GI/2015 (1)

विजयवाड़ा से तेलंगाना सीमा), सं. 234 (नया रारा सं. 75 कर्नाटक सीमा से तिमलनाडु सीमा), नया रारा सं. 71 [रेनूगुंटा से नायदुपेटा (नया रारा सं. 16)], नया रारा सं. 167 (तेलंगाना सीमा से कर्नाटक सीमा), नया रारा सं. 340 [रायचोटी (नया रारा सं.-40) से करबलाकोटा (नया रारा सं.-42)], नया रारा सं. 565 [तेलंगाना सीमा से इरपेडू (नया रारा सं.-71) और नया रारा सं. 765 तेलंगाना सीमा से टोकापेल्ले (नया रारा सं.-565) के उतने भाग आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।

[फा.सं. एनएच-14013/9/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 2787(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

S.O. 542(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions by bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"1	So much of National Highways No. 4 (New NH No. 69 from Chittoor to Karnataka Border and New NH No. 40 from Chittoor to Tamil Nadu Border), No. 9 [(new NH No. 65) excluding from km 266.400 to km 270.340 (Hyderadabad to Vijaywada section)], No.18 (New NH No. 40 from Cuddapah to Chittoor), No. 18A (New NH No.140 from Puthalapattu to Tirupati excluding from Km 41.70 to Km 58.85), No. 43 (New NH No. 26 from Orissa Border to Natavalsa), No. 63 (New NH No. 67 from Karnataka Border to Gooty), New NH-67 (from Gooty–Nellore-Krishnapatnam port), No. 205 (New NH No. 42 from Annantapur-Madanapalli and New NH No. 71 from Madanapalli-Renigunta), No. 214 (New NH No. 165 from Pamarru to Digamarru and New NH No. 216 from Digamarru to Kathipudi), No. 214A (New NH No. 216 from Digamarru to Ongole), No. 219 (New NH No. 42 from Madanapalli to Tamil Nadu Border), No. 221(New NH No. 30 from Vijayawada to Telangana Border), No. 234 (New NH No. 75 from Karanataka Border to Tamil Nadu Border), New NH No. 71 [from Renigunta to Nayudupeta (New NH-16)], New NH No.167 (from Telanagna Border to Karnataka Border), New NH No. 340 [from Rayachoti (New NH-40) to Kurabalakota (New NH-42)], New NH No. 565 [from Telangana Border to Erpedu (New NH-71) and New NH No. 765 from Telangana Border to Tokapelle (New NH-565)] as are situated within the State of Andhra Pradesh.	State Government of Andhra Pradesh."

[F. No. NH-14013/9/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2787(E), dated the 29th October, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 543(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2756 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2012 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, कॉलम सं. 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 के सामने, कॉलम सं. 2 में "विजयवाड़ा" शब्द, अंक और अक्षर के लिए "कुमारीपलेम" शब्द, अंक और अक्षर और कॉलम सं. 3 में "किमी. 271.740" शब्द, अंक और अक्षर के लिए "किमी. 270.340" शब्द, अंक और अक्षर अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एनएच-14013/9/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 2756(अ), तारीख 22 नवंबर, 2012 के तहत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

S.O. 543(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2756 (E), dated the 22nd November, 2012 namely:—

In the table to the said notification, against National Highway number 9 in column number 1, in column number 2 for the words, figures and letters "Vijayawada", the words, figures and letters "Kummaripalem" and in coloumn number 3 for the words, figures and letters "Km. 271.740", the words, figures and letters "Km. 270.340." shall be substituted.

[F. No. NH-14013/9/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note:—The principal notification was published *vide* number S.O. 2756(E), dated the 22nd November, 2012.